"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 मई 2016 — वैशाख 15, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक 4432/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25-04-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 18 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 237 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 237 में,-

(क) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3-क) जहां उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उल्लिखित प्रयोजनों के लिये रखी गई भूमि, किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या खनन परियोजना के लिये चिन्हांकित क्षेत्र के भीतर पायी जाती है, वहां कलेक्टर ऐसी भूमि को, उपरोक्त प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर सकेगा, किन्तु ऐसा व्यपवर्तन तभी किया जा सकेगा जब उसी ग्राम के भीतर उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए समतुल्य भूमि उपलब्ध करा दी जाये."

(ख) उप-धारा (4) में, शब्द "समान क्षेत्र की वैकल्पिक भूमि" के पश्चात् शब्द "उसी ग्राम में" अत:स्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक 4432/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2016)

THE CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 237.

2. In Section 237 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), -

(a) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely :-

"(3-a) Where the land kept for the purposes mentioned under clause (b) of sub-section (1) is found within the area identified for any industrial, commercial or mining project, then the collector may divert such land for the above mentioned purposes, but such diversion can be made only when equivalent land is provided for the purpose of clause (b) of sub-section (1) within the same village."

(b) in sub-section (4), after the words "alternative land of equivalent area", the words "in the same village" shall be inserted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.